19/8/19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से दावा पत्रावली आज
अग्रिम हाजरी अग्रिम पैरवी के वास्ते पेश की जाने की है। इस स्थिति
में आज पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः
अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली को अग्रिम हाजरी
अग्रिम पैरवी के वास्ते पेश की जाती है एवं पूर्व में जारी
अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। पैरोकार जल कुमार
हाजरी से कम हो। वादी वकील ए.एल.जैन
मूल दावा रहे। सुनवाई पश्चात